



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-95/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हिमालया ग्रेनाईट एम.एल. संख्या 09/2019, खसरा संख्या 412, 413, 425, 426, 427 एवं 431 क्षेत्रफल 1.4469 हेक्टेयर, ग्राम एकलसिंगा द्वारा एकलसिंगा ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन क्लस्टर खनन परियोजना संख्या 33 {मैसर्स हिमालया ग्रेनाईट एम.एल. संख्या 09/2019 उत्पादन क्षमता-216517 टीपीए (आर.ओ.एम.), मैसर्स गणपती माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.संख्या 237 ए/2009, उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 150205 टीपीए मैसनरी स्टोन 40055 टीपीए, श्री दीपक गुर्जर एम.एल. संख्या 17/2018 उत्पादन क्षमता-120000 टीपीए, श्री दीपक तहलानी एम.एल. संख्या 13/2018 उत्पादन क्षमता-120000 टीपीए, मैसर्स मरुधर ग्रेनाईट एम.एल. संख्या 26/2018 उत्पादन क्षमता-120000 टीपीए, श्रीमती नेहा चौधरी एम.एल. संख्या 15/2018 उत्पादन क्षमता-110375 टीपीए श्री रामावतार एम.एल. संख्या 29/2018 उत्पादन क्षमता-120000 टीपीए, श्री राकेश कुमार लोधा एम.एल. संख्या 14/2018, उत्पादन क्षमता-130850 टीपीए, श्री रामस्वरूप जाट एम.एल. संख्या 194 ए/2009 उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट-60023 टीपीए, मैसनरी स्टोन 25724 टीपीए}, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 10.0820 है, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-1213749 टीपीए, ग्राम एकलसिंगा, तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स हिमालया ग्रेनाईट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना संख्या 33 की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, अजमेर।
 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
 5. कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, खान व भू-विज्ञान विभाग, सावर, जिला अजमेर।
 6. तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर।
 7. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/1648 दिनांक 18.02.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03/04/2021 को प्रातः 11:30 बजे, स्थान - राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(दीपक तँवर)
क्षेत्रीय अधिकारी